अरावली डेवलपमेंट फीचर्स सर्विस (ए.डी.एफ.एस.)

विकास के मुद्दों पर अरावली की सूचना सेवा

अंक –88 क्रमांक : सूचना ही शक्ति है दिसम्बर 2010

सरकार द्वारा चलाए जा रहे जनहित कार्यक्रमों का लाभ पात्रता रखने वालों को मिल सके, इस हेतु सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार संबंधित विभागों द्वारा समय-समय पर किया जाता रहा है। योजनाओं से समुदाय लाभान्वित हो सके, इस हेतु सरकार द्वारा आयोजित 'प्रशासन गांव की ओर' अभियान एक ऐसा सघन प्रयास रहा जिसने योजनाओं के लाभ को लोगों के द्वार तक सुनिश्चित किया।

प्रयासों के इन्ही क्रम में, अरावली भी कुछ जनहित योजनाओं की जानकारी इस अंक के माध्यम से देने का प्रयास कर रही है।

ए.डी.एफ.एस. के इस अंक में 13 योजनाओं को चुनकर, संबंधित विभागों की समस्त उपलब्ध जानकारी को समाहित किया गया है।

अरावली की 'परिवार आजीविका संदर्भ केन्द्र' की संकल्पना के तहत काम करने के दौरान साथी संस्थाओं के साथ यह साझा अनुभव रहा कि योजनाएं अपने आप में विशिष्ट, स्पष्ट एवं लाभदायी हैं परन्तु इन योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। यदि देखें तो, इसका दूसरा पहलू भी है कि जरूरतमंद लोग योजनाओं के लाभ तक पहुंच नही रख रहे हैं। लाभ और पहुंच के ताने-बाने की पड़ताल करने पर स्पष्ट हुआ कि संस्था स्तर पर योजनाओं की उपलब्धता तथा लाभ व पात्रता की दृष्टि से योजना की स्पष्टता न होना योजना तक पहुंच में बाधक है। अतः लाभ को प्राप्त करने /कराने के लिए योजनाओं की समस्त पहलुओं के साथ स्पष्टता की जानकारी होना आवश्यक है।

प्रस्तुत अंक में मुख्यतः चिकित्सा विभाग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। अरावली दोनों ही विभागों को जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु धन्यवाद देती है।

आशा है कि योजनाओं की जानकारी वाले इस अंक से सभी पाठक लाभान्वित होंगे।

सधन्यवाद।

अरावली

इस अंक में

क्र.सं.	विवरणिका	पृष्ठ सख्या
1	मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष	1
2	मुख्यमंत्री सहायता कोष	8
3	पालनहार योजना	9
4	जननी सुरक्षा योजना	14
5	ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना	15
6	नवजीवन योजना	16
7	विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना	20
8	विधवाओं की पुत्रियो के विवाह पर सहायता योजना	20
9	महिला स्वंयसिद्धा योजना	20
10	पेंशन योजनाएं	21
11	राष्ट्रीय पेंशन योजनाएं	22
12	पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (जनश्री बीमा योजना)	23
13	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (IGMSY)	23
14.	अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियों की सूची	25
15.	विमुक्त, घुमन्तू जातियों और अर्द्ध घुमन्तू जातियों की सूची	26
16.	पिछड़ा वर्ग की राज्य सूची	27
17.	पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची	28

मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष

योजना

मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष का गठन मुख्य रूप से गम्भीर रोगों से ग्रस्त राज्य के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के रोगियों के उपचार हेतु सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। वर्तमान में इस योजना के लाभ से अन्य सामाजिक योजनाओं के लाभार्थियों को भी जोड़ा जा चुका है। इस योजना के तहत राज्य के पात्र परिवारों के इन्डोर एवं आउटडोर रोगियों को मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालयों, जिला चिकित्सालयों, सैटेलाईट चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर निःशुल्क निदान एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

योजना के उद्देश्य

सभी पात्र परिवारों के आउटडोर एवं इन्डोर रोगियों को राज्य के चिकित्सालयों में निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाना जिसमें रोग के निदान एवं उपचार से सम्बन्धित समस्त सुविधाऐं उपलब्ध करवाई जा रही है।

योजना के लिए पात्रता

1. स्टेट बीपीएल
2. चयनित बीपीएल
3. आस्था कार्डधारी
4. एच.आई.वी./एड्स मरीज
5. राज्य सरकार द्वारा चयनित विधवा, वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशनधारी
6. नवजीवन योजना के अंतर्गत सभी परिवार
7. अन्नपूर्णा योजना में लाभान्वित वृद्धजन
8. अन्त्योदय अन्न योजना के लाभान्वित गैर बीपीएल सहरिया परिवार

योजना का प्रारूप

इस योजना के अन्तर्गत पात्रता रखने वाले रोगियों को चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने नजदीक के मेडिकल कॉलेज एवं इनसे सम्बद्ध चिकित्सालय/ जिला चिकित्सालय/सैटेलाईट चिकित्सालय/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जाकर बीपीएल कार्ड/आस्था कार्ड अथवा नरेगा कार्ड जिसमें बीपीएल का ब्यौरा होता है तथा अन्य पात्र परिवारों को

संबंधित योजनान्तर्गत जारी कार्ड प्रस्तुत करना होगा जिसके आधार पर रोगियों को उस चिकित्सा संस्थान में उपचार, औषधियां एवं जांच की सुविधा निशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है।

- पात्रता होने के उक्त प्रमाण भर्ती के समय उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में भी रोगी के नाम का मिलान ऑनलाईन संबंधित स्कीम की लाभान्वित सूची से कर तुरन्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी (बीपीएल कार्ड धारी हेतु) तथा रोगी के सहायक को 24 घण्टे में योग्य प्रमाण पत्र अथवा अन्य पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- सामान्य रोगों से ग्रस्त रोगियों का उपचार/निदान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर किया जायेगा परन्तु गम्भीर बीमारियों के रोगियों के उपचार/निदान की सुविधा सैटेलाईट चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में प्रदान की जाएगी।

- रोग सम्बन्धी उपचार/निदान की सुविधा मेडिकल कॉलेज एवं इनसे सम्बद्ध चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं होने पर रोगी को राज्य के बाहर रोग के निदान/ उपचार हेतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली अथवा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ में भेजा जा सकेगा।

- इस योजना के तहत पात्रता रखने वाले परिवारों के रोगियों की निशुल्क चिकित्सा हेतु औषधियां मेडिकेयर रिलीफ समितियों द्वारा स्वंय के स्तर पर क्रय की जायेगी एवं आवश्यकता पड़ने पर लगाये जाने वाले कृत्रिम अंग/उपकरण भी मेडिकेयर रिलीफ समितियों द्वारा ही उपलब्ध करवायें जाने का प्रावधान है।

- योजना के संचालन हेतु मेडिकेयर रिलीफ समितियों के माध्यम से फार्मेसिस्ट, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य कार्मिकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की गई है।

- योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्न प्रकार की वित्त की व्यवस्था की गई है :–

सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज	–	50 लाख रूपये
अन्य मेडिकल कॉलेज	–	25 लाख रूपये
जिला/सैटेलाईट चिकित्सालय	–	5 लाख रूपये प्रत्येक
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	–	1 लाख रूपये प्रत्येक
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	–	10 हजार रूपये प्रत्येक

यह राशि उपरोक्त चिकित्सा संस्थानों को अग्रिम राशि के रूप में आवंटित की गई है जिसका पुर्नभरण 75 प्रतिशत हिस्सा व्यय होने की स्थिति में चिकित्सा विभाग द्वारा किया जाता है।

औषधियाँ –

- अधिकांश रोगों में रोग के पूर्ण निदान हेतु लम्बे समय तक औषधियों की आवश्यकता होती है। अतः इस योजना के अंतर्गत उन्हें प्रथम सप्ताह/माह की औषधियां मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध चिकित्सालय से तथा फॉलोअप के लिये रोगी की सुविधानुसार जिला अस्पताल, सैटेलाईट चिकित्सालय अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से उसी Prescription के आधार पर चिकित्सक द्वारा निर्धारित अवधि के लिये उपलब्ध करवाई जाने का प्रावधान है।

- संबंधित रोग का विशेषज्ञ औषधियों, कृत्रिम अंगों/उपकरणों का इण्डेन्ट मेडिकेयर रिलीफ समिति को भेजेगा जिसके आधार पर मेडिकेयर रिलीफ समिति से औषधियां उपलब्ध करवाई जायेंगी तथा कृत्रिम अंग/उपकरणों की आवश्यकता होने पर उपरोक्त समिति के सत्यापन के पश्चात् मेडिकेयर रिलीफ समिति के माध्यम से उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है।

- औषधियां चिकित्सा संस्थान के वितरण केन्द्र पर उपलब्ध नहीं होने पर मेडिकेयर रिलीफ समिति के माध्यम से अधिकतम डिस्काउन्ट (न्यूनतम दर) वाली दरों पर दुकान से क्रय कर रोगी को उपलब्ध करवाई जायेगी। चिकित्सा संस्थान के पात्र आउटडोर रोगियों को औषधि केन्द्र से निःशुल्क औषधियां उपलब्ध करवाने में भी बीपीएल सहायता काउन्टर के कार्मिक सहयोग प्रदान करेंगे।

- राज्य सरकार के विद्यमान निर्देशों के अनुसार चिकित्सकों द्वारा Prescription साल्ट/जैनरिक नाम से लिखा जायेगा तथा रोग का निदान मानक उपचार दिशा निर्देशों (Standard Treatment Guidelines) के अनुसार किया जायेगा। साल्ट/जैनरिक नाम से Prescription नहीं लिखने पर सम्बन्धित चिकित्सक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। कुछ अतिविशिष्ट रोगों में जीवनरक्षक औषधियों के रूप में जैनरिक औषधियां के अतिरिक्त अन्य औषधियों का उपयोग मान्य होगा जिनका निर्धारण चिकित्सालय की कमेटी द्वारा किया जाता है।

- अधिकांश रोगों में रोग के पूर्ण निदान हेतु लम्बे समय तक औषधियों की आवश्यकता होती है। अतः ऐसे रोगों से ग्रस्त रोगियों को प्रथम बार मुख्य चिकित्सालय से तत्पश्चात फॉलोअप के लिये रोगी की सुविधानुसार उसके नजदीक के चिकित्सा संस्थान से निःशुल्क औषधियां चिकित्सक द्वारा निर्धारित अवधि के लिए उसी Prescription के आधार पर उपलब्ध करवाई जाती है। इसके लिए Prescription की एक फोटोप्रति चिकित्सा संस्थान द्वारा उनके लेखा संधारण हेतु रखी जाती है।

- ओपीडी में आने वाले पात्र मरीजों को चिकित्सकों द्वारा लिखी गई समस्त औषधियां निःशुल्क रूप से औषधि केन्द्र पर उपलब्ध करवाई जाती है जिसका बिल दो प्रतियों में बनाते हुए एक प्रति रोगी को उपलब्ध करवाई जाती है तथा दूसरी प्रति पर मरीज से प्राप्ति रसीद प्राप्त करते हुए रिकार्ड हेतु रखी जाती है।

व्यवस्था –

- चिकित्सा संस्थानों में सभी पात्रता रखने वाले रोगियों की सहायता हेतु बीपीएल काउन्टर की स्थापना की गई है। बीपीएल सहायता काउन्टर के संचालन के लिए मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध चिकित्सालयों, सैटेलाईट चिकित्सालयों एवं जिला चिकित्सालयों में 3–3 कार्मिकों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक–एक कार्मिक की नियुक्ति संविदा के आधार पर मेडिकेयर रिलीफ समितियों के माध्यम से की गई है। उक्त कार्मिकों का बी.पी.एल. एवं पात्र परिवार के रोगियों को प्रत्येक स्तर पर सहायता उपलब्ध कराने का दायित्व है।

- पात्रता रखने वाले परिवार के रोगी के चिकित्सा संस्थान पर आने पर बीपीएल सहायता काउन्टर के माध्यम से रोगी का विशेष टिकट बनाया जाता है। जिसके आधार पर रोगी को चिकित्सा संस्थान में उपचार/निदान की सुविधायें उपलब्ध करवाई जाती हैं।

- मेडिकल कॉलेज एवं उससे सम्बद्ध चिकित्सालयों, जिला चिकित्सालयों तथा सैटेलाइट चिकित्सालयों में तीन विशेषज्ञों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दो चिकित्सकों की एक समिति बनाई गई है जिसमें आवश्यक रूप से एक सदस्य उक्त चिकित्सा संस्थान का प्रभारी होता है।

- चिकित्सा संस्थान के प्रभारी का यह दायित्व है कि कोई भी पात्रता रखने वाले परिवार का रोगी जानकारी के अभाव में किसी भी प्रकार से चिकित्सा सुविधा के लिये वंचित ना रहे। पात्रता रखने वाले परिवार के रोगियों की चिकित्सा से सम्बन्धित समस्त सुविधाऐं पूर्णतया नगद लेनदेन रहित (Cashless) है।

- योजना के तहत पात्र परिवारों के मरीजों के रिकार्ड का संधारण मेडिकेयर रिलीफ समितियों में अलग से किया जाता है। साधारण/गंभीर बीमारियों से संबंधित मरीजों की व्यक्तिगत फाईल बनाकर दवाईयों, उपकरणों, कृत्रित अंगों आदि की कुल लागत का लेखा संधारित किया जाता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अस्पतालों में होने वाली समस्त जांचें निःशुल्क होती हैं तथा उनका पुनर्भरण मेडिकेयर रिलीफ समितियों को राज्य सरकार द्वारा कर दिया जाता है।

- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अन्य चिकित्सालयों जिनके पास राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रेट कान्ट्रेक्ट के अतिरिक्त औषधि क्रय हेतु कोई दर–संविदा निर्धारित नहीं हैं, वे पात्र मरीजों हेतु आवश्यकतानुसार सम्बन्धित जिला चिकित्सालयों की दरों पर औषधियां क्रय कर सकते हैं।

- इन्डोर पात्र मरीजों के तुरन्त आते ही 24 घण्टे तक के लिये निःशुल्क औषधियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसके उपरान्त पात्र रोगी से बीपीएल कार्ड/अन्य सम्बंधित कार्ड प्राप्त कर सत्यापन के आधार पर इन्डेन्ट के आधार पर बीपीएल औषधि भण्डार से मंगवा कर उपलब्ध करवाई जाने का प्रावधान है।

- फॉलोअप हेतु आने वाले पात्र रोगियों को औषधियां रोगी की सुविधानुसार उसके नजदीक के चिकित्सा संस्थान से निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाने का प्रावधान है।

जांचें –

- सभी पात्र मरीजों की समस्त जांचें चिकित्सालय स्तर पर उपलब्ध करवाई जाती हैं लेकिन जो जॉचें चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं हैं या अतिविशिष्ट सेवाओं की जांचें हैं, उनके लिये रोगी को उच्च चिकित्सा संस्थान हेतु रैफर किया जाने का प्रावधान है। जो जांचे चिकित्सालय में किसी कारणवश उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, वे जांचें कमेटी इन्चार्ज की अनुमति से निजी संस्थान से चिकित्सालय/मेडिकेयर रिलिफ समितियों की दरों पर करवाई जाती है। उक्त जांचों पर होने वाले व्यय का भुगतान मेडिकेयर रिलीफ समितियों द्वारा किया जाता है। इसका पुनर्भरण अन्य जांचों की तरह मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष से किया जाता है।

रैफरल सुविधा –

- पात्र रोगियों को उच्च चिकित्सा संस्थान में रैफर किये जाने की स्थिति में परिवहन की निशुल्क व्यवस्था सम्बन्धित चिकित्सा संस्थान द्वारा की जाती है।

प्रशासन द्वारा निगरानी–

- जिला कलक्टर एवं सम्भागीय आयुक्त की जिम्मेदारी है कि वे समय–समय पर चिकित्सा संस्थानों में जाकर सभी पात्र परिवारों के रोगियों को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सुविधाओं का आकस्मिक निरीक्षण करें।

- संभागीय आयुक्त /जिला कलेक्टर, प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज जो भी सम्बन्धित मेडिकेयर रिलीफ समिति के अध्यक्ष हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि मेडिकेयर रिलीफ समिति में औषधियों की क्रय प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता से की गई है तथा औषधियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इस हेतु एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर एवं अस्पताल की दरों को आधार मानकर यथासम्भव इससे कम दरों पर क्रय किया जाने का प्रावधान है।

- जिला कलक्टर/प्रधानाचार्य की अपने संबंधित चिकित्सा संस्थानों में जाकर पात्र परिवारों के रोगियों को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सुविधाओं का आकस्मिक निरीक्षण करने की जिम्मेदारी है।

सम्पर्क सूत्र

पात्र रोगग्रस्त व्यक्ति को सहायता प्राप्त करने अथवा निदान/उपचार प्राप्त करने में यदि कोई कठिनाई आती है तो लाभार्थी सीधे ही निम्न अधिकारियों से सम्पर्क कर सकता है :–

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर सम्बन्धित सम्भाग/जिला।
3. निदेशक, अस्पताल प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

4. प्रधानाचार्य/नियन्त्रक सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज।

5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सम्बन्धित जिला चिकित्सालय।

6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,सम्बन्धित जिला।

गंभीर रोगों की स्थिति में व्यवस्थाएँ –

- रोग संबंधी उपचार/निदान की सुविधा मेडिकल कॉलेज एवं इनसे सम्बद्ध चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं होने पर रोगी को राज्य के बाहर रोग के निदान/उपचार हेतु नियमानुसार चिकित्सकों के गठित बोर्ड की अभिशंषा पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली अथवा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ में भेजा जा सकने का प्रावधान है। उक्त संस्थानों से प्राप्त रोग के तकमीने के आधार पर उस संस्थान को स्वीकृत राशि का डिमाण्ड ड्राट रैफर किये जाने वाले संस्थान द्वारा भेजने का प्रावधान है।

- गंभीर रोगों से ग्रस्त पात्र रोगियों को उच्च चिकित्सा संस्थान में रैफर किये जाने की स्थिति में परिवहन की व्यवस्था मेडिकेयर रिलीफ समिति की एम्बुलेन्स द्वारा स्वीकृत दरों पर वाहन किराये पर लेकर की जाने का प्रावधान है जिसके किराये का भुगतान मेडिकेयर रिलीफ समिति द्वारा किया जाकर अन्य क्लेम के साथ मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष से प्राप्त किया जाने का प्रावधान है।

योजना के अंतर्गत संबंधित अधिकारियों से सरकार की अपेक्षा है कि वे सभी पात्र परिवारों के मरीजों के प्रति संवेदनशील रहें तथा योजना के निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करें। योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता पाई जाने अथवा पात्र परिवार के रोगियों के उपचार अथवा निःशुल्क औषधि वितरण आदि के सम्बन्ध में कोई भी शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में संबंधित चिकित्सा संस्थान के प्रभारी अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है तथा सरकार उसके विरूद्ध नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करती है।

नवजात शिशु के संदर्भ में दिशा निर्देश :–

अगर पात्र परिवार के नवजात शिशु का नामांकरण नहीं हुआ है एवं उसका नाम संबंधित पात्रता सूची में नहीं है तो इस संबंध में :–

1. नवजात शिशु को उसके माता/पिता के नाम के आधार पर इस योजना का लाभ प्रदान किया जाने का प्रावधान है।

2. परिवार के मुखिया का संबंधित योजनान्तर्गत पात्रता क्रमांक आवश्यक है।

3. शिशु के माता/पिता/परिवार के मुखिया को निर्धारित प्रारूप में घोषणा–पत्र (परिशिष्ठ संलग्न) देना होगा।

4. घोषणा पत्र का प्रारूप अस्पताल में उपलब्ध होगा।

5. परिवार को राशन कार्ड प्रस्तुत करना होगा।

पात्र रोगी/पात्र परिवार के मुखिया से लिया जाने वाला घोषणा पत्र

1. रोगी का नाम .....
2. मरीज के पिता/पति का नाम .....
3. उम्र .....
4. लिंग .....
5. पता .....

   .....
6. बीपीएल/नरेगा/आस्था कार्ड/अन्य पात्र कार्ड संख्या .....
7. कार्ड धारक का नाम .....
8. कार्ड धारक का मरीज से सम्बन्ध .....
9. भर्ती होने की दिनांक .....

पात्र परिवार के मुखिया/रोगी का
हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान

घोषणा

मैं ..... सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी ..... आयु ..... वर्ष, निवासी .... एतदद्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मैं राज्य सरकार द्वारा करवाये गये सर्वेक्षण के आधार पर नवीनतम अनुमोदित बीपीएल चयनित सूची के अनुसार बीपीएल परिवार में चयनित हूँ/.....योजनान्तर्गत पात्रता रखता/रखती हूँ तथा उक्त विवरण मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्णरूप से सत्य है। मैंने कोई तथ्य छुपाया नहीं हैं एवं न ही असत्य तथ्य प्रस्तुत किया है।

दिनांक

पात्र परिवार के मुखिया/रोगी का
हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान

मुख्यमंत्री सहायता कोष

राजस्थान राज्य के नागरिक, जिनकी वार्षिक आय 40,000/– रूपये तक है, के द्वारा गम्भीर रोगों के इलाज कराने हेतु सहायता बाबत् आवेदन किये जाने पर बीमारी के इलाज पर होने वाले व्यय का शत–प्रतिशत पुनर्भरण नहीं किया जाकर निर्धारित मापदण्ड़ों के अनुरूप इलाज पर होने वाले व्यय की राशि का 40 प्रतिशत स्वीकृत करने का प्रावधान है, जो अधिकतम 60,000/– रूपये तक स्वीकृत किया जाता है।

मुख्य रूप से गम्भीर बीमारियों के उपचार हेतु निम्नानुसार राशि स्वीकृत की जाती है :–

1. हृदय के एक वाल्व परिवर्तन पर अधिकतम 40,000 रूपये।
2. हृदय के दो वाल्व परिवर्तन पर अधिकतम 60,000 रूपये।
3. बाईपास सर्जरी/हृदय की अन्य गम्भीर बीमारी हेतु चिकित्सक द्वारा जारी एस्टीमेट का 40 प्रतिशत अधिकतम 60,000 रूपये।
4. कैंसर रोग के उपचार/गुर्दा प्रत्योरोपण एवं अन्य गम्भीर बीमारियों के उपचार हेतु अधिकतम 60,000 रूपये।
5. साथ ही माननीय मुख्यमंत्रीजी के आदेशानुसार अधिक राशि भी स्वीकृत की जा सकती है।

आवेदन पत्र के साथ :

1. राशनकार्ड की फोटोप्रति
2. आय का प्रमाण पत्र (तहसीलदार द्वारा जारी)
3. उपचार पर होने वाले व्यय का चिकित्सक द्वारा जारी ऐस्टीमेट
4. परिवार के मुखिया द्वारा 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आय का शपथ पत्र

आवेदक द्वारा जिस चिकित्सालय में उपचार किया जाता है, मुख्यमंत्री सहायता कोष द्वारा चिकित्सक के ऐस्टीमेट का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम जो भी राशि देय हो, का ड्राट/चैक द्वारा सम्बन्धित चिकित्सालय को भिजवा दिया जाता है। शेष 60 प्रतिशत राशि का वहन बीमार अथवा उसके परिजनों द्वारा किया जाता है।

पालनहार योजना

1	योजना का नाम	पालनहार योजना
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	पालनहार योजना में अनाथ बच्चों/न्यायिक प्रक्रिया द्वारा मृत्युदण्ड/कारावास से दण्डित माता–पिता के बच्चों के पालन–पोषण की जिम्मेवारी लेने वाले व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2007–08 की बजट घोषणा में निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चों को भी योजनान्तर्गत सम्मिलित किया गया है।
3	प्रारम्भ होने का वर्ष	वर्ष 2005
4	लाभान्वित वर्ग	अनाथ बच्चे व विधवा माता के बच्चे तथा कुष्ठ रोग/एड्स पीड़ित माता/पिता की संतान
5	पात्रता	● ऐसे बालक/बालिका जिनके माता–पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो या उनको न्यायिक आदेशों के तहत् मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास की सजा हा चुकी हो या बालक की माता निराश्रित पेंशन हेतु पात्र विधवा हो, को पालनहार द्वारा घर जैसी सामान्य सुविधाएं देनी होंगी। ● कुष्ठ रोग/एड्स पीड़ित माता/पिता की संतान। ● ऐसे बच्चों का कोई सगा संबंधी कमाने वाला नहीं हो। ● वार्ड पार्षद/सरपंच का प्रमाण पत्र कि यह बच्चा/बच्चे अनाथ है तथा वर्तमान में ..... के घर में रहता है, जो इसकी पूरी देखभाल करते है। ● अनाथ बच्चों के माता–पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र। ● पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपये से कम हो। ● पालनहार को इन बच्चों को 2 वर्ष की उम्र में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर तथा 6 वर्ष की उम्र में स्कूल भेजना अनिवार्य होगा।
6	देय सुविधाएं	प्रत्येक अनाथ बच्चे के लिए विभाग द्वारा प्रारम्भिक 5 वर्ष के लिए 500 रूपये प्रतिमाह एवं स्कूल में दाखिल होने के बाद 675 रूपये प्रतिमाह अनुदान स्वीकृत किया जायेगा तथा वस्त्र, जुराब, स्वेटर इत्यादि के लिए 2000 रूपये वार्षिक अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा।

7	आवेदन का तरीका	योजनान्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर संबंधित जिले के जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को आवेदन किया जायेगा।
8	आवेदन कहां किया जावे	संबंधित जिले के जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को आवेदन किया जायेगा।
9	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	**अनाथ बच्चों के प्रकरण में –** 1. वार्ड पार्षद/सरपंच का प्रमाण पत्र कि यह बच्चा/बच्चें अनाथ है तथा वर्तमान में .....के घर पर रहते हैं, जो इसकी पूरी देखभाल करते हैं। 2. माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र/दण्डित माता–पिता के विरूद्ध पारित न्यायिक आदेशों की प्रति 3. पालनहार का वार्षिक आय प्रमाण पत्र **निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चों के प्रकरण में –** 1. निराश्रित पेंशन प्राप्त कर रही विधवा माता हेतु पी.पी.ओ.। 2. निराश्रित पेंशन की पात्र किन्तु पेंशन प्राप्त नहीं कर रही विधवा माता के प्रकरण में पेंशन नियमों के अनुरूप प्रमाण। **कुष्ठ रोग में पीड़ित माता पिता की संतानों के प्रकरण में –** 1. चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाण पत्र **एड्स पीड़ित माता/पिता की संतान के प्रकरण में –** 1. राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसायटी में कराये गए पंजीयन का प्रमाण पत्र **सभी प्रकार के प्रकरणों में –** 1. 6 वर्ष या अधिक आयु के बच्चों का विद्यालय में नियमित अध्ययनरत होने का संबंधित विद्यालय का प्रमाण पत्र 2. बच्चें की आयु संबंधित प्रमाण।
10	सम्पर्क सूत्र	**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला अधिकारी**

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन, जी 3/1, बाईस गोदाम पुलिया के पास, जयपुर

क्रमांक :एफ 14 (1)(208)मुबाअ/सान्याअवि/07/25816जयपुर दिनांक 30.4.10

आदेश

पालनहार योजना संचालन हेतु विभाग द्वारा दिनांक 25.4.2007 को जारी संशोधन नियम, 2007, आदेश संख्या 48595 दिनांक 07.08.2007 व आदेश संख्या 3514 दिनांक 27.01.2010 में निम्न प्रकार संशोधन किए जाते है :-

नियम एवं उपनियम संख्या	वर्तमान नियम	संशोधित नियम
2(6) (परिभाषा)	''अनाथ बच्चों'' से तात्पर्य ऐसे बालक/बालिका से है, जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो अथवा उनकों न्यायिक आदेशों के तहत मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा माता-पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो व दूसरे को मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी हो व विधवा माता निराश्रित पेंशन हेतु पात्रता रखती हो अथवा विधिवत पुनर्विवाह करने वाली विधवा माता की संतान हो	''अनाथ बच्चों'' से तात्पर्य ऐसे बालक/बालिका से है, जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो अथवा उनकों न्यायिक आदेशों के तहत मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा माता-पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो व दूसरे को मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी हो व विधवा माता निराश्रित पेंशन हेतु पात्रता रखती हो अथवा विधिवत पुनर्विवाह करने वाली विधवा माता की संतान हो अथवा कुष्ठ रोग/एड्स पीड़ित माता/पिता की संतान हो।
3(5ब)	नया उपनियम प्रतिस्थापित किया गया।	कुष्ठ रोग से पीडित माता/पिता की संतान हेतु योजनान्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए कुष्ठ पीड़ित को सक्षम चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
3(5स)	नया उपनियम प्रतिस्थापित किया गया।	एड्स पीड़ित माता/पिता की संतान हेतु योजनान्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए एड्स पीड़ित को राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसायटी में कराए गए पंजीयन का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

4(5)	वर्तमान उपनियम 4(5) को 4(6) क्रमांकित कर 4(5) नया उपनियम प्रतिस्थापित किया।	कुष्ठ रोग/एड्स रोग से पीड़ित माता/पिता की प्रत्येक संतान के लिए विभाग द्वारा प्रारम्भिक 5 वर्ष के लिए 500 रूपये प्रतिमाह एवं स्कूल में दाखिल होने के बाद675 रूपये प्रतिमाह अनुदान स्वीकृत किया जायेगा तथा वस्त्र, जूते, जुराब, स्वेटर इत्यादि के लिए 2000 रूपये वार्षिक अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा।

कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के प्रकरणों में उनकी चिकित्सा से रोग दूर होने बाद भी योजनान्तर्गत नियमानुसार सहायता जारी रहेगी।

यह आदेश वित विभाग की अर्न्त विभागीय टीप संख्या 101001333 दिनांक 28.04.2010 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में प्रसारित किए जा रहें हैं।

आयुक्त

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन, जी 3/1, बाईस गोदाम पुलिया के पास, जयपुर

क्रमांक :एफ 14 (1)(208)मुबाअ/सान्याअवि/07/3514जयपुर दिनांक 27.1.10

आदेश

पालनहार योजना संचालन हेतु विभाग द्वारा दिनांक 25.4.2007 को जारी संशोधन नियम, 2007 व आदेश संख्या 48595 दिनांक 07.08.2007 में निम्न प्रकार संशोधन किए जाते है :-

नियम एवं उपनियम संख्या	**वर्तमान नियम**	**संशोधित नियम**
2(6) (परिभाषा)	''अनाथ बच्चों'' से तात्पर्य ऐसे बालक/बालिका से है, जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो अथवा उनकों न्यायिक आदेशों के तहत मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा माता-पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो व दूसरे को मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी हो व विधवा माता निराश्रित पेंशन हेतु पात्रता रखती हो।	''अनाथ बच्चों'' से तात्पर्य ऐसे बालक/बालिका से है, जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो अथवा उनकों न्यायिक आदेशों के तहत मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा माता-पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो व दूसरे को मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी हो व विधवा माता निराश्रित पेंशन हेतु पात्रता रखती हो अथवा विधिवत पुनर्विवाह करने वाली विधवा माता की संतान हो
3(5ब)	नया उपनियम प्रतिस्थापित किया गया।	विधिवत पुनर्विवाह करने वाली माता की संतान हेतु योजनान्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए विधवा माता के पुनर्विवाह का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये विवाह पंजीयन का प्रमाण पत्र पालनहार द्वारा आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
4(4)	वर्तमान उपनियम 4(4) को 4(5)	क्रमांकित कर 4(4) नया उपनियम प्रतिस्थापित किया।विधिवत पुनर्विवाह करने वाली विधवा माता की संतान के लिए विभाग द्वारा प्रारम्भिक 5 वर्षो के लिए 500 रू. प्रतिमाह एवं स्कूल में दाखिल होने के बाद 675 रू. प्रतिमाह उक्त नियमों के अध्यधीन अनुदान स्वीकृत किया जायेगा तथा वस्त्र, जूते-जुराब, स्वेटर इत्यादि के लिए 2000 रू. वार्षिक अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा।

यह आदेश वित विभाग की अर्न्त विभागीय टीप संख्या 100904902 दिनांक 08.01.2010 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में प्रसारित किए जा रहें हैं।

आयुक्त

जननी सुरक्षा योजना

1	योजना का नाम	जननी सुरक्षा योजना
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु व संस्थागत प्रसव में वृद्धि हेतु यह योजना लागू की गई। जिसके अंतर्गत प्रसूताओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
3	प्रारम्भ होने का वर्ष	सितम्बर 2005
4	लाभान्वित वर्ग	● सभी वर्ग की महिलाएं जो सरकारी चिकित्सा संस्थानों तथा पंजीकृत निजी संस्थानों पर प्रसव करवाती है ● बी.पी.एल. परिवार की महिलाएं जिनका घर पर प्रसव होता है।
5	पात्रता	● सभी गर्भवती महिलाएं जो किसी भी सरकारी चिकित्सा संस्थान अथवा पंजीकृत निजी चिकित्सालयों में प्रसव करवाती है व सामान्य वार्ड में भर्ती होती है। ● सभी बी.पी.एल. महिलाएं जिनका घर पर प्रसव हुआ हो। (दो बच्चों तक देय)
6	देय सुविधाएं	● ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को संस्थागत प्रसव कराने पर 1400/– रू. नकद सहायता और 600/– रू. आशा सहयोगिनी को परिवहन सुविधा व पूर्व व प्रसवोत्तर सेवायें प्रदान करने पर देय है। ● बिना आशा सहयोगिनी के आने पर 300/– रू. परिवहन हेतु देय होगे। ● शहरी क्षेत्र में संस्थागत प्रसव पर 1000/– रू. की नकद सहायता राशि देय होगी। आशा सहयोगिनी को 200/– रू. अतिरिक्त देय होगे। ● बी.पी.एल. परिवार की सभी महिलाओं को घरेलू प्रसव पर 500/– रू. देय होगे जो दो बच्चों तक देय है
7	आवेदन का तरीका	संस्थागत प्रसव होने व जच्चा बच्चा कार्ड प्रस्तुत करने पर
8	आवेदन कहां किया जावे	जिस संस्था में प्रसव हो।
9	**सम्पर्क सूत्र**	**संस्था प्रभारी, जहां प्रसव हुआ हो।**

विद्युत विभाग
ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना

1	योजना का नाम	ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	● ग्रामीण क्षेत्रो के नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विद्युत तंत्र में सुधार की दृष्टि से 8 घण्टे कृषि हेतु बिजली देने के लिए वितरण तंत्र का सुदृढीकरण किये जाने बाबत् ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना प्रारंभ करना। ● इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत के लिए निकटतम 33 के.वी. सब–स्टेशन से एक पृथक 11 के.वी.फीडर स्थापित कर विद्युत आपूर्ति की जाएगी। ● एक फीडर पर अधिकतम 3 ग्राम होंगे।
3	प्रारम्भ होने का वर्ष	2009
4	लाभान्वित वर्ग	समस्त वर्ग
5	पात्रता	ग्रामीण
6	देय सुविधाएं	8 घण्टे कृषि हेतु बिजली देना
7	सम्पर्क सूत्र	राज. राज्य विद्युत वितरण निगम

नवजीवन योजना *

अवैध शराब के व्यवसाय में लिप्त व्यक्तियों/परिवारों के पुनर्वास हेतु योजना

1. **प्रस्तावना** : राज्य के ग्रामीण/अर्द्धशहरी क्षेत्रों में कुछ व्यक्ति/समुदाय परम्परागत रूप से अवैध शराब के निर्माण, भण्डारण एवं विक्रय करने की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। राज्य की आबकारी एवं मद्य–संयम नीति के अनुसार शराब के व्यवसाय का अधिकार राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त किया जाता है, अतः उक्त नीति के परिप्रेक्ष्य में अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा शराब का निर्माण अथवा व्यवसाय किया जाना अवैध एवं पूर्ण रूप से निषिद्ध है।

   अवैध शराब के व्यवसाय में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध नियमित रूप से राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 और उसके अन्तर्गत नियमों के अधीन आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाते हैं। ऐसा अनुभव किया गया है कि बार–बार कानूनी कार्यवाही के उपरांत भी ऐसे व्यक्ति/परिवार अवैध शराब के व्यवसाय से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसके निम्न मुख्य कारण प्रतीत होते हैं –

   - ऐसे परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियां
   - शिक्षा एवं संचेतना का अभाव
   - अन्य वैकल्पिक रोजगार के साधनों का अभाव
   - ऐसे परिवारों के साथ जुड़ी छबि जो इनको समाज की मुख्य धारा से अलग रखती है।
   - प्रशिक्षण एवं स्वप्रेरणा की कमी।

   राजस्थान सरकार ने कल्याणकारी सिद्धान्त का अनुसरण करते हुये ऐसे व्यक्तियों/समुदायों को इस अवैध व्यवसाय में संलिप्त होने की परिस्थितियों और कारकों का विश्लेषण कर इनके प्रभावी पुनर्वास की व्यवस्था करने का संकल्प लिया है।

   अवैध शराब के उत्पादन व विक्रय में लिप्त नागरिकों के उत्थान व विकास का दृष्टिकोण अभी तक उपेक्षित रहा है। राज्य में अनाधिकृत शराब के उपभोग एवं सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों व कतिपय दुखान्तिकाओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार का यह मानना है कि ऐसे व्यक्तियों/समुदायों के पुनर्वास, (यथा आजीविका के वैकल्पिक अवसर/संसाधन उपलब्ध कराना, अशिक्षा को दूर करना एवं उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना) की महती आवश्यकता है।

   इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वर्ष 2009–10 की आबकारी नीति में एवं परिवर्तित बजट अभिभाषण में समग्र प्रदेश में अवैध शराब के व्यवसाय में लिप्त परिवारों के पुनर्वास हेतु आबकारी राजस्व की एक प्रतिशत राशि, जो कि लगभग 23 करोड़ रू. है, व्यय करने की घोषणा की है।

2. योजना का प्रसार/विषय क्षेत्र : यह योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रवर्तित होगी।

3. योजना हेतु पात्रता : (।) ऐसे चयनित व्यक्ति/परिवार जो बार–बार कानूनी कार्यवाही के उपरांत भी इस व्यवसाय में लिप्त है तथा इन कारणों से अनेकों बार कारावास की सजा भी काट चुके हैं किंतु सजा के बाद पुनः इस अवैध कार्य में शामिल हो जाते हैं।

---

* संदर्भ :– आबकारी विभाग की नवजीवन योजना

(।।) संबंधित जिला आबकारी अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला श्रम एवं रोजगार अधिकारी, आबकारी (प्रवर्तन) विभाग का जिलाधिकारी और जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक के नामिति एवं मान्यता प्राप्त गैर शासकीय संस्थान (एन.जी.ओ.) की समिति (जिसे आगे मद्य–निषेध सर्तकता समिति कहा जाएगा) के द्वारा इस हेतु चयनित व्यक्ति/परिवार।

4. योजना का स्वरूप :

4.1 प्रथम चरण – प्रथम चरण में अवैध शराब के व्यवसाय में लिप्त व्यक्तियों/समुदायों को व्यवसाय के दुष्प्रभावों और जीविकोपार्जन के लिए वैकल्पिक आजीविकाएं अपनाने के लिए–

(i) सभाएं आयोजित कर,

(ii) मल्टीमीडिया का प्रदर्शन कर

(iii) नुक्कड़ नाटक आयोजित कर और

(iv) स्व–प्रेरणा/प्रोत्साहन के फलस्वरूप अवैध शराब के व्यवसाय से विमुख हुए व्यक्तियों का सार्वजनिक रूप से उदाहरण प्रस्तुत कर प्रेरित किया जाएगा।

4.2 द्वितीय चरण – द्वितीय चरण में अवैध शराब के व्यवसाय से जुड़े चिन्हित परिवारों के सदस्यों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्न वैकल्पिक रोजगारों (यह सूची मात्र Indicative है) के कौशल प्रशिक्षण (Skill Training) प्रदान किया जायेगा :–

(i) परिवहन व्यवसाय

(ii) मोजड़ी निर्माण व मरम्मत

(iii) मणिहारी सामान विक्रय

(iv) सौन्दर्य प्रसाधन (ब्यूटी पार्लर)

(v) लकड़ी के हैण्डीक्राफट्स का व्यवसाय

(vi) रेडीमेड गारमेण्ट का व्यवसाय /टेलरिंग

(vii) कम्प्यूटर ट्रैनिंग

(viii) डेयरी

(ix) जनरल मर्चेन्डाईज

(x) अन्य व्यवसाय जिसके लिए चयनित व्यक्ति निर्धारित अर्हता धारित करता हो तथा इच्छुक हो।

4.3 कौशल प्रशिक्षण के संस्थान, प्रशिक्षण की अवधि एवं वृत्तिका (Stipend) :–

4.3.1 कौशल प्रशिक्षण निम्न संस्थाओं के द्वारा प्रदान किया जाएगा :–

(i) राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

(ii) रूडा

(iii) जिला उधोग केन्द्र

(iv) के.वी.आई.सी.

(v) श्रम एवं रोजगार विभाग

(vi) राजकौशल समिति

(vii) डेयरी विभाग

(viii) अन्य गैर शासकीय संस्थान जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहें हैं एवं जिसकी अनुशंषा मद्य–निषेध सर्तकता समिति द्वारा की जाए।

4.3.2– **कौशल प्रशिक्षण की शर्ते –** कौशल प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व चयनित लाभार्थी के द्वारा इस आशय का एक बन्धपत्र/शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि वह स्वंय अवैध शराब के व्यवसाय से विमुख है तथा अपने परिवारजनों को भी इससे विमुख रखने की शपथ लेता है।

4.3.3– **कौशल प्रशिक्षण की अवधि –** कौशल प्रशिक्षण अवधि न्यूनतम 3 माह होगी। यह अवधि चयनित रोजगार के लिए वांछित कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता के अनुसार मद्य–निषेध सर्तकता समिति के द्वारा बढ़ायी जा सकेगी।

4.3.4– **कौशल प्रशिक्षण की वृत्तिका (Stipend) –** इस योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण की अवधि में चयनित व्यक्ति/महिला को प्रतिमाह 2000/– रू. की वृत्तिका (Stipend) का भुगतान किया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण की अवधि में बन्धपत्र/शपथ पत्र का उल्लंघन करने पर लाभार्थी को प्रतिमाह प्रदान की जा रही वृत्तिका राशि का भुगतान तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा।

4.4– **तृतीय चरण –**

4.4.1 उपयुर्क्त चरणों के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके लाभार्थियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति विकास निगम लि. की योजनाओं के अनुसार ऋण व अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (टी.ए.डी.) के द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के अनुसार ऋण व अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

4.4.2 ऋण अनुदान (Loan Subsidy) यदि उक्त विभागों की ऐसे लाभार्थियों के प्रकरण में मद्य–निषेध सर्तकता समिति के द्वारा ऋण देने वाले संबंधित वित्तीय संस्थान को कुल ऋण राशि की 15 प्रतिशत राशि, जो कि अधिकतम 50,000/– रू. होगी, ऋण अनुदान (Loan Subsidy) के रूप में प्रदान की जाएगी।

4.4.3 संबंधित वित्तीय संस्थान विशेषज्ञ संस्थाओं व एनजीओ के द्वारा ऋण प्राप्तकर्ता लाभार्थी की मासिक ग्रेडिंग व मार्गदर्शन करेगा जिससे कि लाभार्थी को इस योजना के लाभ का सामयिक अंकेक्षण हो सके।

5.1 **शिक्षा –** उक्त चिन्हित लाभार्थियों के बच्चों एवं महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने की दृष्टि से शिक्षा एवं प्रशिक्षण महत्वपूर्ण घटक है। प्राय : उक्त समुदायों के बच्चें व महिलाएं ऐसे व्यवसाय में सहयोग करती है और उनका शैक्षिक व नैतिक विकास ऐसी संलग्नता के कारण अवरूद्ध होता है। इस दृष्टि से चिन्हित लाभार्थियों के

बच्चों एवं महिलाओं को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की विभिन्न शैक्षणिक एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से लाभान्वित किया जायेगा।

5.2 **स्वंयसेवी संस्थाओं की भूमिका –** इसके अतिरिक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के बजट प्रावधानों के अनुसार स्वंयसेवी संस्थाओं के माध्यम से भी ऐसे परिवारों के बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा की दृष्टि से बालवाड़ी एवं आवासीय व गैर–आवासीय ब्रिजकोर्स संचालित किए जाऐंगे। प्रौढ़ महिलाओं व बालिकाओं के लिए पृथक से साक्षरता व व्यावसायिक कौशल कार्यक्रम आयोजित कराये जाएंगे। इन संस्थाओं द्वारा इस कार्यक्रम को चयनित क्षेत्रों में प्रचार–प्रसार एवं प्रोत्साहित किया जावेगा। जिला समिति द्वारा इनके प्रोजेक्ट को अनुमोदित करने की स्थिति में इस हेतु आर्थिक व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जावेगी।

5.3 **माध्यमिक व कॉलेज शिक्षा –** माध्यमिक व उच्च शिक्षा में अध्ययनरत उक्त परिवारों के छात्र/छात्राओं केा व्यवसायोन्नमुखी पाठ्यक्रमों जैसे पीएमटी, पीईटी, एमबीए, बीसीए, एमसीए आदि में प्रवेश के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं के अनुसार कोचिंग हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त अनुदान कोचिंग की लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 15,000 रू. (जो भी कम हो) होगा। यह अनुदान सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी परीक्षाओं में 60 प्रतिशत या अधिक अंक अर्जित करने वाले विधार्थियों को उपलब्ध होगा।

6. **योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया –** इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति/परिवार के द्वारा निम्न प्रकार जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन किया जाएगा :–

(i) आवेदक/आवेदिका सादे कागज पर अपनी फोटो के साथ सादे कागज पर आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

(ii) आवेदन के साथ उसके द्वारा धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

(iii) आवेदन पत्र में विशिष्ट वृत्ति, जिसका प्रशिक्षण आवेदक/आवेदिका प्राप्त करना चाहता/चाहती है का उल्लेख किया जायेगा।

(iv) अनुसूचित जाति/जनजाति का संबंधित तहसीलदार के द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

(v) आवेदक/आवेदिका के द्वारा इस आशय का एक बन्धपत्र/शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि वह स्वंय अवैध शराब के व्यवसाय से विमुख है तथा अपने परिवारजनों को भी इससे विमुख रखने की शपथ लेता है/लेती है।

(vi) प्राप्त समस्त आवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा मद्य–निषेध सर्तकता समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

7. **योजना का वित्तीय स्त्रोत :–** इस योजना के लिए आबकारी राजस्व की एक प्रतिशत राशि का व्यय किया जाना एवं इसके लिए बजट मद एवं बजट प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना

राज्य की विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 2007–08 के बजट में विधवा पेंशन की पात्रता रखने वाली महिलाओ को उनके पुनर्विवाह पर राज्य सरकार की ओर से उपहार स्वरूप राशि रूपये 15.000/–देने की घोषणा की गई ।

उक्त बजट घोषणा की अनुपालना में विभाग के परिपत्र दिनांक 26.04.2007 द्वारा विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना दिनांक 01.04.2007 से लागू की गई। योजना के नियमानुसार राज्य सरकार की विधवा पेंशन की पात्रताधारी महिला के पुनर्विवाह करने पर राज्य सरकार की उक्त योजना का लाभ लेने के लिए उसे विभाग के सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन करना होगा जिसकी आवश्यक जांच पश्चात जिलाधिकारी द्वारा उपहार राशि भुगतान की जायेगी ।

विधवाओं की पुत्रियो के विवाह पर सहायता योजना

वर्ष 1997–98 से एकीकृत पैकेज प्रोग्राम के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से ऐसे कमजोर परिवारों की विधवाएं जिनके कोई कमाने वाला वयस्क व्यक्ति नहीं है की पुत्रियों के विवाह के लिये राज्य सरकार द्वारा 5000/–रूपये की राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई थी । दिनांक 21.06.2003 से विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए राज्य सरकार द्वारा 5000 रूपये की राशि को बढकर 10.000 रूपये कर दिया गया। सहायता केवल दो पुत्रियों के विवाह पर देय है। अधिक से अधिक विधवाओं को इस योजना का लाभ प्रदान करने की दृष्टि से अधिसूचना दिनांक 15 अक्टूबर 2009 के द्वारा पात्रता नियमों में शीथिलता प्रदान कर परिवार में 18 वर्ष के व्यस्क कमाऊ पुत्र के प्रावधान को संशोधित कर परिवार के कमाउ पुत्र की आयु 25 वर्ष करने के साथ ही विधवा की वार्षिक आय 12000/– के स्थान पर 50000/– वार्षिक का प्रावधान किया गया है।

महिला स्वयंसिद्धा योजना

महिलाओं के उत्थान और उनके सशक्तीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उदेश्य उन्हे आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाया जाना है। केन्द्र और राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में कार्य कर रही है। महिलाओं की समस्या के प्रसंग में महिला स्वयंसिद्धा योजना की रूपरेखा तैयार की गई है ताकि विधवा और निराश्रित जरूरतमंद महिलाएं विशेषकर आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गो की महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक दृष्टि से स्वालम्बी बनाया जा सके।

प्रथम चरण में जयपुर मुख्यालय पर महिला स्वंयसिद्धा केन्द्र स्थापित करने हेतु 50 एकड़ भूमि आगरा रोड़ जयपुर में आवंटित भूमि पर भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्य संभाग (उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर एवं कोटा) स्तर पर विभाग द्वारा निर्मित नारी निकेतन भवनों में महिला स्वंयसिद्धा केन्द्र प्रारम्भ किये जा चुके है। इन केन्द्रों पर महिलाओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण, प्राथमिक चिकित्सा, दूरस्थ शिक्षा पर शिक्षण, नशामुक्ति प्रशिक्षण तथा सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध प्रचार कार्य बाबत प्रशिक्षण दिया जायेगा। महिलाओं को विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षित कर प्रमाण पत्र दिये जायेंगे तथा उनके द्वारा उत्पादित सामान के मार्केटिंग की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।

उद्देश्य :–

1. निराश्रित, विधवा एवं अवांछित परिस्थितियों में निवास कर रही महिलाओं को उपयुक्त सामाजिक परिवेश प्रदान करते हुए उनकी योग्यता एवं उनकी क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

2. प्रशिक्षित महिलाओं को उपयुक्त रोजगार दिलाना ताकि वे सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बन सकें।

पात्रता

1. इस योजना के अंतर्गत निराश्रित जरूरतमंद तथा विधवा महिलाओं को प्रवेश दिया जायेगा।

2. गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

महिला स्वंयसिद्धा केन्द्रों में प्रवेशित महिलाओं को निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र व अन्य जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध कराई जायेंगी। इन केन्द्रों में प्रवेशित महिलाएं अपने 10 वर्ष तक के बच्चों को भी साथ रख सकेंगी।

पेंशन योजनाएं

1. वृद्धावस्था, विधवा/परित्यक्ता एवं निःशक्त पेंशन

राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा के तहत निराश्रित व्यक्तियों को विभाग द्वारा वृद्धावस्था और विधवा पेंशन वर्ष 1974 से एवं निःशक्त पेंशन वर्ष 1965 से दी जा रही है।

विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत देय पेंशन दरें समय–समय पर संशोधित की गई है। वर्तमान में पात्र व्यक्तियों को निम्न प्रकार पेंशन राशि देय है :–

क.	75 वर्ष व उससे अधिक आयु का वृद्ध पुरूष एवं महिला	750 रू. प्रतिमाह
ख.	75 वर्ष से कम आयु का वृद्ध पुरुष एवं महिला	500 रु. प्रतिमाह
ग.	पति एवं पत्नी (संयुक्त पेंशन) दोनो ही 75 वर्ष व अधिक आयु के हों	1500 रू. प्रतिमाह
घ.	पति व पत्नी (संयुक्त पेंशन) दोनों ही 75 वर्ष से कम आयु के हों	1000 रू. प्रतिमाह
ङ.	पति व पत्नी (संयुक्त पेंशन) दोनों में से एक 75 वर्ष से अधिक और एक 75 वर्ष से कम आयु के हों	1250 रु. प्रतिमाह
च.	किसी भी आयु की विधवा/परित्यक्ता	500 रू. प्रतिमाह
छ.	निःशक्त पेंशन (निःशक्त की आयु 8 वर्ष व अधिक हो)	500 रू. प्रतिमाह

2. राष्ट्रीय पेंशन योजनायें

राज्य में 3 पेंशन योजनायें लागू है। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (65 वर्ष व ऊपर आयु एवं बीपीएल परिवार वाले वृद्ध हेतु) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (40 वर्ष से 64 वर्ष तक बीपीएल परिवार की विधवा हेतु) तथा इन्दिरा गांधी निःशक्तजन पेंशन योजना (18 वर्ष से 64 वर्ष तक बीपीएल परिवार के निःशक्त हेतु) के अंतर्गत पेंशन स्वीकृत की जाती है। इनमें पेंशन राशि रूपये 400/– प्रति पेंशनर्स प्रति माह देय है। इसमें से 200/– रूपये प्रति पेंशनर्स प्रतिमाह केन्द्र सरकार से प्राप्त होती है।

योजनान्तर्गत शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी पेंशन स्वीकृत करते हैं।

3. वृद्धावस्था/विधवा/विकलांग पेंशन नियमों में किए गए नये संशोधनों का संक्षिप्त विवरण :–

क. वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन नियमों में पात्रता की शर्तों में अंकित परिवार के निकटतम संबंधी की आयु 20 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष की गई है।

ख. विधवा पेंशन नियम में एचआईवी/एड्स पॉजिटीव विधवाओं को जो राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी के यहां पंजीकृत है, को पेंशन स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है।

ग. वैधानिक रूप से कोर्ट से डिग्री प्राप्त/कोर्ट का आदेश प्राप्त/ कोर्ट में 5 वर्ष से अधिक लम्बित प्रकरण संबंधित परित्यक्त/ अलग रह रही महिलाओं को पेंशन देने का प्रावधान किया गया है।

घ. राजस्थान अपाहित, अपंग एवं अन्धे व्यक्तियों को पेंशन नियम, 1965 में अंधता एवं चलन निःशक्ता को पेंशन देय थी। अब अन्य तीन श्रेणी कुष्ठरोग मुक्त, श्रवणशक्ति ह्रास व मानसिक मंदत को भी शामिल किया गया है।

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (जनश्री बीमा योजना)

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के मुखिया या कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर ऐसे परिवारों को अधिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के स्थान पर दिनांक 14.8.06 से पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (जनश्री बीमा योजना) भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से सम्पूर्ण राज्य में लागू की गई है। वर्ष 2009–2010 में योजना से 26 लाख बीपीएल परिवारों और 4684 आस्था कार्ड धारक परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है।

योजनान्तर्गत देय लाभ :–

प्राकृतिक मृत्यु होने पर	30000/–
दुर्घटना मृत्यु होने पर	75000/–
स्थायी अपंगता	75000/–
आंशिक अपंगता	37500/–

योजनान्तर्गत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति 100 रूपये प्रति विद्यार्थी प्रति माह तिमाही आधार पर उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना में वर्ष 2006–07 में 2223185, वर्ष 2007–08 में 2644185, वर्ष 2008–09 में 2584376 एवं वर्ष 2009–10 में 2604620 परिवारों को बीमित कर लाभान्वित किया गया है।

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (IGMSY)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार पत्र क्रमांक No. 9-5/2010-IGMSY दिनांक 8.11.2010

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (IGMSY) पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। इस योजना का मुख्य उद्धेश्य गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं के पोषण व स्वास्थ्य में सुधार लाने हेतु ICDS के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

पात्रता : 19 वर्ष और अधिक आयु की सभी गर्भवती माताओं के पहले दो जीवित जन्म पर लाभ देय (मृत जन्म पर योजनानुसार लाभ देय)

(सरकारी व सार्वजनिक उपक्रम के सभी कर्मचारियों को इस योजना से वंचित किया गया है क्योंकि उन्हें सवैतनिक मातृत्व अवकाश का प्रावधान है)

जिले जहां योजना लागू की जा रही है : उदयपुर व भीलवाड़ा जिले

सेवाप्रदाता को प्रोत्साहन राशि :

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को एक माता को सभी लाभ दिलवाने के पश्चात दो सौ रू. देय और

आंगनबाड़ी सहायिका को भी उक्त शर्तो पर ही सौ रू. देय।

लाभार्थियों हेतु प्रावधान :

राशि हस्तांतरण	आधार	राशि	सत्यापन
पहला : छः माह की गर्भावस्था के अंत में	आंगनबाड़ी केन्द्र/स्वास्थ्य केन्द्र पर चार माह के अंतर्गत गर्भावस्था पंजीकरण	रू. 1500	जच्चा बच्चा सुरक्षा कार्ड जिसमें पंजीकरण की दिनांक अंकित हो व संबंधित स्वास्थ्यकर्मी के हस्ताक्षर हो तथा जिस पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के भी हस्ताक्षर हो।
जननी सुरक्षा योजना लाभ	जननी सुरक्षा योजना के नियमानुसार	योजनानुसार	
दूसरा : प्रसव के तीन माह पश्चात्	● नवजात का जन्म पंजीकरण ● शिशु का टीकाकरण – पोलियो व बीसीजी : जन्म पर – पोलियो व डीपीटी छः हफ्ते पर – पोलियो व डीपीटी दस हफ्ते पर ● माता द्वारा दो वजन निगरानी व IYCF (Infant and Young Child Feeding) परामर्श सत्रों में उपस्थिति प्रसव के तीन माह के अंतर्गत	रू. 1500	जच्चा बच्चा सुरक्षा कार्ड वजन निगरानी चार्ट टीकाकरण रजिस्टर (दूसरी किश्त मृत जन्म व नवजात की मृत्यु होने पर भी देय है)
तीसरी : प्रसव के छः माह पश्चात	● छः माह तक शिशु को सिर्फ स्तनपान कराया हो (माता द्वारा सत्यापित) ● छः माह पर शिशु को अतिरिक्त आहार (माता द्वारा सत्यापित) ● शिशु को पोलियो की खुराक व डीपीटी का तीसरा टीका ● माता द्वारा दो वजन निगरानी व IYCF परामर्श सत्रों में तीसरे व छठे माह के अंतराल में उपस्थिति	रू. 1000	स्वंय सत्यापन जच्चा बच्चा सुरक्षा कार्ड वजन निगरानी चार्ट टीकाकरण रजिस्टर

भुगतान : राशि लाभार्थी के बैंक अथवा पोस्ट आफिस के खाते में सीधे CDPO द्वारा हस्तांतरित की जाएगी।

प्रशासनिक व्यवस्थाएं –

राज्य स्तर पर : एक राज्य समन्वयक व एक कार्यक्रम सहायक

जिला स्तर पर : एक जिला समन्वयक व एक कार्यक्रम सहायक

ग्राम स्तर पर : आंगनवाडी केन्द्र तथा ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति

अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियों की सूची

अनुसूचित जातियां

1. आदि धर्मी
2. अहेरी
3. बदी
4. बागरी, बागड़ी
5. बैरवा, बेरवा
6. बाजगर
7. बलाई
8. बांसफोर, बांसफोड़
9. बावरी
10. बर्गी, वर्गी, बिर्गी
11. बावरिया
12. बेडिया, बेरिया
13. भांड
14. भंगी, चूड़ा, मेहतर, औलगाना, रूखी, मलकाना, हलालखोर, लालबेगी, बाल्मीकि, वाल्मीकि, कोरार, झाडमाली
15. बिदाकिया
16. बोला
17. चमार, भंभी, बंभी, भंबी, जटिया, जाटव, जाटवा, मोची, रैदास, रोहिदास, रेगर, रैगड़, रामदासिया, असादरू, असोदी, चमाडिया, चम्भार, चामगार, हरलय्या, हराली, खलपा, मचिगार, मोचीगार, मादर, मादिग, तेलगु मोची, कामटी मोची, राणीगार, रोहित, सामगार
18. चांडाल
19. दबगर
20. धानक, धानुक
21. धानकिया
22. धोबी
23. ढोली
24. डोम, डूम
25. गांडिया
26. गरांचा, गांचा
27. गरो, गरुड़, गुर्डा, गरोडा
28. गवारिया
29. गोधी
30. जीनगर
31. कालबेलिया, सपेरा
32. कामड़, कामड़िया
33. कंजर, कुंजर
34. कपाड़िया सांसी
35. खंगार
36. खटीक
37. कोली, कोरी
38. कूचबन्द, कुचबन्द
39. कोरिया
40. मदारी, बाजीगर
41. महार, तराल, धेगुमेगु
42. माहयावंशी, ढेड़, डेड़ा, वणकर, मारू वणकर
43. मज़हबी
44. मांग, मातंग, मिनिमादिग
45. मांग गारोड़ी, मांग गारूडी
46. मेघ, मेघवाल, मेघवल, मेंघवार
47. मेहर
48. नट, नुट
49. पासी
50. रावल
51. सालवी
52. सांसी
53. सांटिया, सटिया
54. सरभंगी
55. सरगड़ा
56. सिंगीवाला
57. थोरी, नायक
58. तीरगार, तीरबन्द
59. तुरी

अनुसूचित जनजातियां

1. भील, भील गरासिया, धोली भील, डुगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भलाला, पावरा, वसवा, वसावे
2. भील मीना
3. डोमोर, डामरिया
4. धाणका, तड़वी, तेतारिया, वलवी
5. गरासिया (राजपूत गरासिया से भिन्न)
6. काथोड़ी, कातकरी, ढोर काथोड़ी, ढौर कातकरी, सोन काथौडी, सोन कातकरी
7. कोकना, कोकनी, कुकणा
8. कोली ढोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलधा
9. मीना
10. नायकड़ा, नायक, चोलिवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक
11. पटेलिया
12. सेहारिया, सेहिरया, सहारिया

LIST OF DENOTIFIED TRIBES, NOMADIC TRIBES AND SEMI NOMADIC TRIBES

As Approved vide Government in Social Welfare Department

Order No. F.1 (F)(2)SW/63/dated 24-02-64

विमुक्त, घुमन्तु जातियों और अर्द्ध घुमन्तू जातियों की सूची

Denotified Tribes (विमुक्त जातियां)

1. Baori (बावरी)
2. Kanjar (कंजर)
3. Sansi (सांसी)
4. Bagri (Bawaria) (बागरी) (बावरिया)
5. Mogia (मोगिया)
6. Nut (नट)
7. Naik (नायक)
8. Multanis (मुल्तानिस)
9. Bhat (भाट)

Nomadic Tribes and Semi Nomadic Tribes (घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तू जातियां)

Nomadic Tribes (घुमन्तू जातियां)

1. Baldias (Banjaras) (बालदायस) (बन्जारा)
2. Pardhis (परधिस)
3. Domabaris (दोमाबरिस)
4. Gadia Lohars (गाड़िया–लोहार)
5. Iranis (इरानिस)
6. Jogi Kalbelia (जोगी कालबेलिया)
7. Jogi Kanphata (जोगी कनफटा)
8. Khurpalts (Kulphaltas) (खुरपलटास)
9. Shikkaligar (सिक्लीगर)
10. Ghisadis (धिसारिस)

Semi Nomadic Tribes
(अर्द्ध घुमन्तू जातियां)

1. Sarangiwala Bhopas (सारंगीवाला भोपास)
2. Rebaris (रैबारी)
3. Raths (राठ)
4. Mangalias (मंगालिसा)
5. Bhayas (भाया)
6. Kannis (कन्नीस)
7. Janglus (जंगलूस)
8. Jalukus (जालूखुस)
9. Jhangs (जान्स)
10. Sindlus (सिन्डुलस)
11. Jogis (other than those included in Nomadic Tribes (जोगी) (घुमन्तु जातियों में शामिल को छोड़कर)
    (i) Girinaths (गिरिनाथ)
    (ii) Ajaipals (अजयपाल)
    (iii) Agamnaths (अगमनाथ)
    (iv) Namaths (नामाथ)
    (v) Jalandhars (जालंधर)
    (vi) Masanis (मसानी)
12. Ramaswamies (रामास्वामी)
13. Bharaddi-jadhavs (भाराद्धीजाधवस)

विशेष : – आंग्लभाषा (अंग्रेजी) की वर्तनी मान्य है।

पिछड़ा वर्ग की राज्य सूची

पिछड़े वर्गों के नाम

1. अहीर (यादव)
2. बडवा, जाचक, भाट, जागा, राव
3. चारण
4. बागरिया
5. बंजारा, बालदिया, लबाना
6. बढई, जांगिड़, खाती, सुथार, तरखान
7. भडभूजा
8. छीपा (छीपी), भावसार, नामा, खट्टी छीपा, रंगरेज, नीलगर
9. डाकोत, देशांतरी, रंगासामी (अडभोपा)
10. नगारची–दमामी, राणा, बायती (बारोट)
11. दरोगा, रावणा–राजपूत, हजूरी, वजीर
12. दर्जी
13. धाकड
14. धीवर, कहार, भोई, सगरवंशी–माली, कीर, मेहरा, मल्लाह (निषाद), बारी, भिश्ती, मछुआरा
15. गडरिया (गाडरी), गायरी, घोसी (ग्वाला)
16. गाडिया–लोहार, गाडोलिया
17. घांची
18. तेली
19. गिरी, गोसाई (गुशांई)
20. गूजर, गुर्जर
21. हेला
22. जणवा, खारडीया (सीरवी)
23. जुलाहा
24. जोगी, नाथ, सिद्ध
25. काछी (कुशवाहा), शाक्य
26. कलाल (टाक), कलाल (मेवाड़ा), कलाल (सुवालका), कलाल (जायसवाल), कलाल (अहलूवालिया), कलाल (पटेल)
27. कन्डेरा, पिंजारा
28. कनबी, कलबी, पटेल, पाटीदार, आंजणा, डांगी पटेल, कुलमी
29. खारोल (खारवाल)
30. किरार (किराड)
31. कुम्हार (प्रजापति), कुमावत, सुआरा
32. लखेरा (लखारा), कचेरा, मनिहार
33. लोधी (लोधा)
34. लोहार, पांचाल
35. महा–ब्राह्मण (अचारज), फकीर (कब्रिस्तान में कार्य करने वाले)
36. माली, सैनी, बागवान
37. मेर (मेहरात–काठात, मेहरात–घोडात, चीता)
38. मिरासी, ढाडी, लंगा/मंगनियार
39. मोगिया (मोग्या)
40. नाई, सैन, वेदनाई
41. न्यारिया (न्यारगर)
42. ओड
43. पटवा (फदाल)
44. राईका, रैबारी (देबासी)
45. रावत
46. साद, स्वामी, बैरागी, जंगम
47. सतिया–सिंधी
48. सिकलीगर, बन्दूकसाज (उस्ता)
49. सिरकीवाल
50. स्वर्णकार, सुनार, सोनी, जड़िया
51. ठठेरा, कन्सारा (भरावा)
52. तमोली (तम्बोली)
53. जागरी
54. जाट
55. रायसिख
56. हलाली, कसाई
57. दांगी
58. लोढे–तंवर
59. सोंधिया
60. विश्नोई
61. मेव
62. गद्दी
63. फारूकी भटियारा
64. सिलावट (सोमपुरा, मूर्तिकार के अतिरिक्त), चेजारा
65. खेरवा
66. धोबी (मुस्लिम)
67. कायमखानी
68. कुजड़ा, राइन
69. सपेरा (गैर हिन्दू जाति)
70. मदारी, बाजीगर (गैर हिन्दू जाति)
71. नट (गैर हिन्दू जाति)
72. गाडीत नागौरी
73. सिन्धी मुसलमान
74. खेलदार
75. चूनगर
76. राठ
77. मुल्तानीज
78. अनाथ बच्चे
79. मोची (गैर हिन्दू जाति)
80. देशवाली
81. कोतवाल/कोटवाल
82. चोबदार

पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची
CENTRAL LIST OF OTHER BACKWARD CLASSES

Sl. No.	Name of the Caste/ Sub Castes/Synonyms/ Communities	Entry No. in the Central List
1.	Ahir (Yadav)	1
2.	Badhai, Jangid, Khati, Kharadi, Suthar, Tarkhan	3
3.	Badwa, Bhat, Rao, Jachak, Jaga	2
4.	Bagaria	4
5.	Banjara, Baladia, Labana	5
6.	Bari	59
7.	Bharbhuja	6
8.	Bhatiara	64
9.	Charan	7
10.	Chhippa (Chhipi), Nama, Bhavsar	8
11.	Chungar	57
12.	Dakaut, Deshantri	9
13.	Damami, Nagarchi	10
14.	Daroga, Daroga-Rajot, Ravana-Rajput, Hazauri, Wazir	11
15.	Darzi	12
16.	Dhakad	13
17.	Dhivar, Kahar, Bhoi, Sagarvanshi-Mali, Keer, Mallah, Mehra	14
18.	Dhobi (other than those who are included in the List of Scheduled Castes for Rajasthan)	55
19.	Faqir/Faquir (Kadiris Chistis and Naqshbandias are not included)	60
20.	Gadaria (Gadri), Ghosi (Gvala), Gaddi	15
21.	Gadia-Lohar, Gadolia	16
22.	Ghanchi	17
23.	Giri, Gosain (Gushain)	18
24.	Gujar, Gurjar	19
25.	Hela	20
26.	Janwa, Sirvi	21
27.	Jat (except in Bharatpur & Dhaulpur Districts)	58
28.	Jogi, Nath	22
29.	Julaha (Hindu & Muslim)	23
30.	Kachhi, Kachhi, Kushwaha, Kachhi Shakya	24
31.	Kalal (Tak.)	25
32.	Kalbi	63
33.	Kanbi	26
34.	Kandera, Pinjara, Mansoori	27
35.	Kasai	61
36.	Kharol	28
37.	Kirar (Kirad)	29
38.	Kumhar (Prajapati), Kumawat	30(a) & 30 (b)
39.	Lakhera (Lakhara) Manihar	31
40.	Lodhi (Lodha, Lodh)	32
41.	Lohar, Panchal	33
42.	Maha Brahman (Acharaj)	34
43.	Mali, Saini, Bagwan, Rayee/Rayeen, Kunjra	35
44.	Mer, (Mehrat-Kathat, Mehrat-Ghodat, Cheeta)	36
45.	Mirasi, Dhadi	37
46.	Mochi (Other than those who are included in the list of SC for Rajasthan)	54
47.	Mogia (Mogya)	38
48.	Nai, Sain, Baid Nai	39
49.	Nyaria	40
50.	Odd	41
51.	Patwa (Phadal)	42
52.	Rai-Sikh	65
53.	Raika, Rebari (Debasi)	43
54.	Rangrez, Nilgar	56
55.	Rawat	44
56.	Sad, Swami	45
57.	Sakka-Bhishti, Saqqabhishti, Bhishti-Abbasi	53
58.	Satiya-Sindhi	46
59.	Sikligar	47
60.	Silawat (except Sompura Murtikar)	62
61.	Sirkiwal	48
62.	Swarnakar, Sunar, Soni	49
63.	Tamoli (Tamboli)	50
64.	Teli	51
65.	Thathera,Kansara, Bharawa	52

ARAVALI

Association for Rural Advancement through Voluntary Action and Local Involvement

JAIPUR HEAD OFFICE

Patel Bhawan, HCM-RIPA (OTS), J. L. N. Marg, Jaipur-302017 India.

Telefax : 0141-2701941, 2710556

E-mail : aravali-rj@nic.in Web : www.aravali.org.in